(3) मंत्रालय में तीन अनुभाग अर्थात् रोकड़-1, रोकड़-2 और स्थापना-4 सभी स्तरों पर अपना कार्य केवल हिन्दी में करने के लिए अभिज्ञात किए गए हैं।

(4) मंत्रालय में प्रत्येक अनुभाग को पांच ऐसी फाइलें अभिज्ञात करने के लिए कहा गया है जिनमें केवल हिन्दी में कार्य किया जा सके।

गत् वर्ष के दौरान मानीटरिंग पद्धति में हिन्दी कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के सम्बन्ध में जानकारी को अलग से संकलित करने की व्यवस्था नहीं की गई थी। तथापि, कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए गए। विगत में कई कारणों से लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई है। जिनमें प्रशिक्षित हिन्दी टाइपिस्टों की कमी और भाषा का प्रयोग करने में विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त धारा-प्रवाह का अभाव शामिल है।

स्वरोजगार कार्यक्रम

92. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **वित्त** मंत्री 22 जुलाई, 1986 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 288 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा विधिवत स्वीकृत बहुत सी अर्जियों को बैंकों द्वारा रद्द कर दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों में लक्ष्य की पूर्ति भी नहीं हुई है;

(ख) गुजरात तथा अन्य राज्यों में इस कार्यक्रम के लक्ष्य की पूर्ति न होने के क्या कारण हैं ; और एक निश्चित समय में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंकों को क्या अनुदेश दिए गए हैं;

(ग) जिन राज्यों में पिछले तीन वर्षों में लक्ष्य पूर्ति नहीं हुई उनमें आगामी वर्षों के लिए लक्ष्य बढ़ाये न जाने के क्या कारण हैं ; क्या इस नीति में सुधार की कोई आवश्यकता है; और

(घ) क्या सरकार उन बैंकों के कार्यकरण की जांच करने का विचार रखती है जिन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किये हैं ताकि दोषी लोगों को दण्ड दिया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कपास का उत्पादन

93. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कपास का राज्य-वार कितना-कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इस वर्ष कपास का कैरी-ओवर (पिछला शेष) स्टाक क्या हैं और देश की आवश्यकता से यह स्टाक कितना अधिक है ;

(ग) आवश्यकता से अधिक कपास की कितनी मात्रा का और किस एजंसी के माध्यम से तथा किस-किस देश को निर्यात किया जाएगा ;

(घ) कपास की विभिन्न किस्मों के समर्थन मूल्य की घोषणा पिछली बार कब की गई थी और उनका मूल्य क्या है ;

(ङ) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि इस वर्ष किसानों को कपास के लिए समर्थन मूल्य से जो कम दाम मिल रहा है ; और

(च) किसानों को कपास का लाभप्रद मूल्य देना सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) रूई का राज्य-वार उत्पादन संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) 1-9-86 को अनुमानतः 29.80 लाख गांठें हैं, जबकि 1986-87 के लिए फसल की मात्रा लगभग 102 लाख गांठों के होने की आशा है। इस प्रकार चालू वर्ष के लिए रूई की कुल उपलब्धता लगभग 131.80 लाख गांठें होंगी और निर्यात लगभग 10.50 लाख गांठों का होगा। 31-8-87 को पिछला शेष स्टाक लगभग 21.80 लाख गांठें होगा।

(ग) चालू वर्ष में निर्यातिक एजेंसियां हैं काटन कार्पोरेशन आफ इण्डिया स्टेट फेडरेशन्स एण्ड प्राइवेट ट्रड।भारत, बंगलादेश, बेल्जियम, बुल्गारिया, चीन (टी) चेकोस्लोवाकिया, जापान, कोरिया (एस.), पोलैंड, थाइलैंड आदि को रूई का निर्यात करता है।

(घ) 1986-87 के रुई मौसम के लिए उचित औसत क्वालिटी की नई कपास फसल की न्यूनतम समर्थन कीमतें 10 अक्टूबर, 1986 को घोषित की गई थी। विभिन्न किस्मों की न्यूनतम समर्थन कीमतें देर्शाने वाला एक विवरण-II संलग्न हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) काटन कार्पोरेशन आफ इंडिया को ऐसी खरीदारियों पर बिना किसी प्रतिबंध के न्यूनतम समथन कीमतों पर कीमत समर्थन काय करने के निदेश दिए गए हैं।

विवरण-I

राज्य	170 कि० ग्रा० की लाख गांठों में उत्पादन		
	1983-84	1984-85	1985-86 (अनन्तिम)
पंजाब	6.21	11.00	15.00
हरियाणा	4.65	4.50	5.00
राजस्थान	5.45	5.50	6.00
गुजरात	12.87	21.10	21.00
मध्य प्रदेश	8.15	9.63	7.00
महाराष्ट्र	7.60	17.85	27.00
कर्नाटक	7.76	8.71	6.50
आन्ध्र प्रदेश	17.00	15.86	13.25
तमिल नाडू	4.37	6.85	5.50
अन्य	1.10	0.50	0.75
	75.16	101.50	107.00

(स्रोत : रूई सलाहकार बोर्ड)

विवरण –II

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

पोस्ट बैग नं० 11500, बम्बई–20

सं० 1 (20/86/काटन)

आदेश

रूई मौसम 1986–87 के लिए उचित औसत क्वालिटी की नई कपास फसल की न्यूनतम कीमत आगामी आदेश होने तक निम्नलिखित अनुसार निर्धारित की जाती है।

किस्म	मिली मीटर में मूल रेशा-लम्बाई (2.5% बालिस्ट लम्बाई)	माइक्रोनेयर मूल्य	एकक की कपास के लिए स्पाट कीमत (रु०/क्विंटल)
1	2	3	4
छोटा रेशा :			
1. बंगाल देशी/ जी. 27	—	7.0	345
2. बगाद	20 एम एम	6.0	370
3. कलागिन	19 एम एम	4.8	365
मध्यम रेशा :			
4. जे-34/भीकानेरी नरमा	23 एम एम	4.0	415
5. जी. जे–73	23 एम एम	4.6	410
6. एम पी किरनार/197/3	23.5 एम एम	4.5	435
7. वी–797	22 एम एम	4.2	440
उत्कृष्ट मध्यम रेशा :			
8. सुयोधर	22 एम एम	5.2	410
9. जयधर	23 एम एम	5.2	420
10. गोरानी 22/45	23 एम एम	4.6	425
11. एफ–414ए.एच.777/अगाती	25 एम एम	4.2	430

1	2	3	4
12. जी कोट–12 . . .	23.5 एम एम	4.4	440
13. लक्ष्मी	23 एम एम	4.0	443
14. खानदेश विरनार/वाई–1 . .	23.5 एम एम	4.5	452
15. एके–235 और 277के/एएच–4 ज्योति	24 एम एम	5.0	470
16. खंडवा–2 . . .	25 एम एम	4.2	475
17. ए–51/9 नर्मदा . . .	25.5 एम एम	4.0	475
18. एल–147 . . .	26 एम एम	3.8	490
19. जी कोट–II . . .	25 एम एम	4.4	512
20. डी गिवजे "ए" (गुज) . .	25 एम एम	4.0	520
21. एलआरए–5166 . .	27 एम एम	4.2	505
22. दिग्विजय "बी" (महा एण्ड रा.) .	24 एम एम	3.7	495
23. एस आर टी–1 बी महाराष्ट्र .	25 एम एम	4.6	495
24. एसआरटी–1 ए गुजरात . .	25 एम एम	4.6	520
लम्ब रेशा			
25. 1007/डीएचवाई . .	27 एम एम	3.7	505
26. एमसीयू–7 . . .	26 एम एम	4.0	505
27. 170-सीओ–2 बी . . .	27 एम एम	4.0	505
28. देवीराज . . .	26.5 एम एम	3.3	510
29. जेकेएचवाई–1 . . .	30 एम एम	4.0	540
उत्कृष्ट लम्बे रेशा			
30. एच–4	30 एम एम	3.7	540
31. शंकर–4 बी सौराष्ट्र . .	31 एम एम	3.7	555
32. शंकर–6 . . .	30 एम एम	4.0	555
33. शंकर–4 ए (साऊथ गुजरात) .	31 एम एम	3.7	560
34. एमसीयू–5 (साऊथ) . .	33 एम एम	3.3	560
एमसीयू-5 (महाराष्ट्र)	30 एम एम	3.3	555
35. वारलक्ष्मी (महाराष्ट्र) . .	34.5 एम एम	3.3	497
36. वारलक्ष्मी (मध्यप्रदेश) . .	33 एम एम	3.3	492
37. वारलक्ष्मी (गुजरात) . .	35 एम एम	3.3	555
38. वारलक्ष्मी (साउथ) . .	36 एम एम	3.3	577
39. डीसीएच–32 . . .	39 एम एम	3.5	605
40. सुविन	40 एम एम	3.3	800

ये आदेश 10 अक्तूबर, 1986 से प्रभावी होंगे।

बम्बई

10 अक्तूबर, 1986

ह०/-

(अरुण कुमार)

वस्त्र आयुक्त